न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 108/2024

प्रार्थी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. अध्यक्ष प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रवीण कुमार छीपा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री दिनेश सुराणा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय दिनांक 31.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 30117 दिनांक 28.02.2014 बुक संख्या 302 क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरुद्ध पट्टा संख्या 30117 दिनांक 28.02.2014 क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट का नियम 156 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त हैं। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जॉच जिला स्तरीय जॉच कमेटी के द्वारा करने के उपरांत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजरथान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 की पात्रता नहीं रखने से श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही के पत्र क्रमांक जिपरि/पंचायत/जॉच/1654 दिनांक 03.08.2023 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

दिये गये हैं, जिससे उक्त विक्रय विलेख नियम विरूद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो श्री पुखराज पुत्र श्री जवानमल प्रजापत, अध्यक्ष प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति स्वयं तत्कालीन उपसरपंच होते हुए भी ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 06.08.2001 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाया गया, जो खारिज योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 में पात्रता नही रखते हुये भी विक्रय विलेख जारी किया गया, जो निरस्त योग्य हैं। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या 30117 दिनांक 28.02.2014 क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 156 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई नियमों की अवहेलना नहीं की है। प्रश्नगत विक्रय विलेख नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी किये जाने का कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या एक ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की है। अप्रार्थी संख्या एक ने पट्टा जारी करने के पूर्व प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.08.2001 को पारित किया है, जिसकी पुष्टि पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक 2013–16 दिनांक 16.08.2013 के जरिए की गई। अप्रार्थी संख्या एक ने रूपए 60,000/– प्राप्त कर उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या दो को विक्रय की है तथा उक्त विक्रयशुदा भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया है। अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टे का पंजीयन उपपंजीयक भावरी में दिनांक 10.03.2014 को अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में करवाया है, जिससे प्रश्नगत पट्टा पंजीयनशुदा है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 156 के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.08.2001 को उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या एक को 300 वर्गगज तक की भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार है। प्रश्नगत पट्टे की राशि 60,000/– अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से प्राप्त की है। प्रश्नगत पट्टा जारी किए जाने में अप्रार्थी संख्या एक ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। अप्रार्थी संख्या एक को 3000 वर्गफीट तक की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार है, जिससे ग्राम पंचायत भारजा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार वैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो किसी भी रूप से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। उक्त पट्टा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि या अनियमितता नहीं की है। यह कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी हुए करीब 10 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने अब तक उक्त निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधार निगरानी में नहीं दर्शाया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत के जबाब को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 156 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह कि प्रार्थी ने अपने स्वविवेक से यह

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 03

Scanned with CamScanner

निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही को निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थी को निर्देश दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही के निर्देशों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करने का विधि में कोई अधिकार नहीं है। तथाकथित जांच कमेटी ने अप्रार्थी संख्या दो से कभी भी प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो को उक्त तथाकथित जांच के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे तथाकथित जांच एवं उसमें निकाले गये तथाकथित निष्कर्षो से अप्रार्थी संख्या दो किसी भी रूप से पाबन्द नहीं है। प्रश्नगत विक्रय विलेख नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी किये जाने का कथन गलत है। प्रश्नगत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य किसी भी रूप से नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या एक ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की है। प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.08.2001 को पारित किया है तथा पंचायत समिति के आदेश क्रमांक 213–16 दिनांक 16.08.2013 द्वारा ग्राम पंचायत भारजा के प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 02 की पुष्टि की गई। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त विक्रय प्रतिफल की राशि रूपये 60,000/– ग्राम पंचायत में जमा करवाये है। अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक भावरी में दिनांक 10.03.2014 को अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में करवाया है। प्रश्नगत पट्टा पंजीयन शुदा है, जिससे उक्त पट्टे को निगरानी के माध्यम से खारिज करवाने का अधिकारी प्रार्थी को किसी भी रूप से नहीं है। प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर आलौच्य निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.08.2001 को उपस्थित नहीं हुए है। अप्रार्थी संख्या दो अध्यक्ष प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति स्वयं उप सरपंच होते हुए ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में दिनांक 06.08.2001 को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाये जाने का कथन सर्वथा असत्य है। ग्राम पंचायत भारजा को 300 वर्गगज तक की भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार है। प्रश्नगत पट्टे की राशि रूपये 60,000/– अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक को जरिये रसीद अदा की है एवं उक्त पट्टे को पंचायत समिति के आदेश दिनांक 16.08.2013 से पुष्ठ किया गया है, इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने में अप्रार्थी संख्या एक ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। यह कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा उसके पक्ष में जारी करवाये जाने की पात्रता नहीं रखने का कथन गलत है। ग्राम पंचायत भारजा को 3000 वर्गफीट तक के भूखण्डों का पट्टा जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या दो को प्रश्नगत पट्टा जारी करने का अधिकार है। यह कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी हुये करीब 10 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने अब तक उक्त निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधार निगरानी में नहीं दर्शाया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 156 के तहत पट्टा संख्या 30117 दिनांक 28.02.2014 क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट का जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 156 के अनुसार–

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 04

Scanned with CamScanner

156.–प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण– (1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरिम कर सकेगी–

(क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो।

(ख) जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती कि नीलाम उस भूमि के निवर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा, और

(ग) जहां तक नियम 144 के उप–नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो।

प्रार्थी द्वारा मुख्यतः तर्क किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री पुखराज पुत्र श्री जवानमल प्रजापत, अध्यक्ष प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति स्वयं तत्कालीन उपसरपंच होते हुए भी ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 06.08.2001 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ताओं द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में दिनांक 06.08.2001 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाये जाने का कथन असत्य, मनघडन्त एवं बनावटी है। दिनांक 06.08.2001 की बैठक में प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में हुई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित नहीं था। अन्यथा भी अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत भारजा को 60,000/– रूपये अदा कर पट्टा प्राप्त किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी का यह तथ्य सही है कि दिनांक 06.08.2001 को आहूत की गई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो श्री पुखराज अध्यक्ष प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति स्वयं तत्कालीन उपसरपंच के रूप में उपस्थित था, परन्तु उक्त बैठक में अप्रार्थी संख्या दो के हक में किसी भी प्रकार का कोई निःशुल्क आवंटन या ग्राम पंचायत की किसी भूमि का आंवटन नहीं किया जाकर प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति की कब्जेशुदा भूमि का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 156 के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया था, जिसका ग्राम पंचायत भारजा द्वारा नियमानुसार निर्धारित डी.एल.सी. दर से राशि 60,000/– रूपये प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक 213/16 दिनांक 16.08.2013 के द्वारा भी की गई है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत में निर्धारित डी.एल.सी. दर से भुगतान कर प्राप्त किया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो का किसी भी प्रकार का धनीय हित नहीं था। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) के तहत किसी भी पंचायतीराज संस्था का कोई सदस्य पंचायत की किसी बैठक में भाग नहीं लेगा यदि उस बैठक में कोई ऐसा प्रश्न है, जिसे जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो। अतः दिनांक 06.08.2001 को आहूत की गई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित तो था, परन्तु उसमें पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर से राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है, जिससे ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है, बल्कि उससे ग्राम पंचायत को आय हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अध्यक्ष प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति भारजा के नाम से पट्टा जारी किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री पुखराज पुत्र श्री जवानमल प्रजापत है, जो पट्टा जारी करते समय उपसरपंच के पद पर थे। चूंकि प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति भारजा के अध्यक्ष बदलते रहते है। ऐसे में तत्कालीन उपसरपंच श्री पुखराज का उक्त विवादित पट्टे से किसी भी प्रकार धनीय हित होना प्रतीत नहीं होता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने हेतु अपात्र होने के सम्बन्ध में निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस प्रार्थना

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 05

पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टा के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 30117 दिनांक 28.02.2014 क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner